Urgent
Time Bound

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.2(4)(विविध पत्रा.)/आ.कृ./ 3915 – 4025 दिनांक : 26/11/2020

1. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण जयपुर।
2. आयुक्त उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड – – – – ।
4. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद – – –।
5. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) – – – – – ।

विषय :– मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अविलम्ब अनुकम्पा नियुक्ति दिलाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित परिवारों को शीघ्र राहत पहुँचाने के लिये इनके आश्रितों को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। प्रायः यह देखने में आया है कि अनुकम्पाा नियुक्ति के लिये चाहे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज/कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव आयुक्तालय को समय पर प्रेषित नहीं किये जाते हैं, जिसके कारण मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। मृतक आश्रित के समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

अतः आपके व आपके अधीनस्थ कार्यालयों में मृतक आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की सूचना निम्न प्रपत्र में तीन दिवस में आवश्यक रूप से इस आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावें। इसमें विलम्ब होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को देरी के लिये जिम्मेदार मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :–

क.सं.	मृतक अधिकाकारी/कर्मचारी का नाम व पद	मृत्यु दिनॉक	मृतक आश्रित का नाम	शैक्षणिक योग्यता	आयु
1	2	3	4	5	6
मृतक से संबंध	आवेदन की तिथि	मृतक आश्रित का अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव/कमी पूर्ति कर प्रस्ताव आयुक्तालय को अब तक प्रस्तुत नहीं करने का कारण			
7	8	9			

26/11

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर – दूरभाष : 0141–2227342 email : jdagr.admn@rajasthan.gov.in